न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	RCMS.No. 2020/00006	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
04/2020		23.04.2020	27.05.2020

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग, प्रतापगढ़

:– प्रार्थी

–: बनाम :–

सत्यनारायण वैष्णव, सेनापति केटरिंग खुशी विहार नीमच रोड, प्रतापगढ़

:– अप्रार्थी

अपील अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत्

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार रसद
2. श्री अमीत जैन अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–: आदेश :– दिनांक 27.05.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पेरोकार सरकार रसद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 19.03.2020 मन प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी, एवं श्री मनोज कुमार प्रवर्तन निरीक्षण, श्री श्याम कुमार शर्मा CO, श्री भगवानदास DC , जिला रसद अधिकारी कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु खुशी विहार, नीमच रोड प्रतापगढ़ स्थित सत्यप्रकाश वैष्णव सेनापति केटरिंग पर पहुंचे मौके पर सत्यप्रकाश वैष्णव उपस्थित मिले। मौके पर रूबरू मोतबिरान श्री कारूलाल पुत्र श्री लालुराम निवासी जहाजपुर पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री कनीराम निवासी सियाखेडी पंचायत समिति प्रतापगढ़ की उपस्थिति में परिसर की जांच करने पर 19 सिलेण्डरों (14.2 किग्रा), 1 रेग्युलेटर पाईप सहित दो चुल्हों की लोहे की भट्टी मिली, जिससे अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों के भण्डारण व व्यवसायिक उपयोग की पुष्टि होती है। मौके पर गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं बिकी संबंधी आवश्यक विधिक दस्तावेजात मांगने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं बिकी किये जाने पर मौके पर कैलाश पुत्र भग्गाजी गांव सियाखेडी, प्रतापगढ़ कार्यकर्ता प्रतापगढ़ गैस सर्विस द्वारा ईलेक्ट्रोनिक कांटे से तौल करवाने पर निम्न स्थिति पायी गई :–

190

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	कम्पनी	S.R.No	मानक भार किग्रा	कुल वजन किग्रा	टेयर वजन किग्रा	शुद्ध LPG किग्रा
1	IOC	175885	14.2	15.7	15.7	Nill
2	IOC	236066	14.2	18.460	15.8	2.66
3	HPC	394436	14.2	16.00	15.9	0.1
4	IOC	668973	14.2	25.300	15.9	9.4
5	IOC	244288	14.2	17.800	15.6	2.2
6	IOC	212852	14.2	15.5	15.5	Nill
7	IOC	327111	14.2	16.700	15.6	1.1
8	HPC	660544	14.2	16.090	15.6	0.49
9	IOC	97823	14.2	16.1	16.1	Nill
10	IOC	068481	14.2	15.8	15.8	Nill
11	HPC	262763	14.2	16.390	15.8	0.59
12	IOC	184080	14.2	16.140	15.6	0.54
13	HPC	018140	14.2	15.4	15.4	Nill
14	HPC	824230	14.2	15.8	15.8	Nill
15	HPC	050248	14.2	16.700	15.8	0.9
16	IOC	222597	14.2	15.0	15.0	Nill
17	HPC	959992	14.2	16.940	16.2	0.74
18	IOC	872079	14.2	17.00	16.2	0.8
19	IOC	726459	14.2	16.850	15.8	1.05
Total						20.57

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग (गैस बर्नर के चुल्हों से रबड ट्युब, रेग्युलेटर से जोडा जाकर एल.पी.जी. को ईधन के रूप में कार्य लिया जाकर चुल्हों पर विभिन्न खाद्य सामग्री का निर्माण किया जाना पाया गया।) के फलस्वरूप 19 सिलेण्डरों (14.2 किग्रा) जिसमें 7 सिलेण्डर खाली एवं 12 सिलेण्डरों में 20.57 किग्रा गैस तथा 1 रेग्युलेटर पाईप सहित दो चुल्हों की लोहे की एक भट्टी को जब्त कर वजह सबुत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु बद्रीलाल आंजना मालिक मैसर्स प्रतापगढ़ गैस सर्विस, प्रतापगढ़ को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये, जो वजह सबुत संलग्न है। निरीक्षण पर्चा मय फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया जिसकी छाया प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर निवेदन है कि श्री सत्यप्रकाश जाति वैष्णव द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध रूप से भण्डारण का कार्य कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लॉज 3 ए सी की अवहेलना की है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि जब्तशुदा 19 सिलेण्डरों (14.2 कि.ग्रा) जिसमें 7 सिलेण्डर खाली एवं 12 सिलेण्डरों में 20.27 कि.ग्रा गैस तथा 1 रेगुलेटर पाईप सहित दो चुल्हों की लौहे की एक भट्टी को राजसात (confiscate) करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील रिपोर्ट अप्रार्थी स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता श्री अमीत जैन के साथ उपस्थित हो जवाब एवं बहस हेतु अवसर चाहा गया न्यायहित में अवसर प्रदायगी उपरान्त अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

27.05.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया नकल प्रार्थी पेरोकार सरकार को उपलब्ध कराई गई तथा प्रकरण में बहस अन्तिम उभय पक्ष अन्तिम सूनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था/फर्म किसी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डर्स का उपयोग उपभोग व्यवसायिक प्रयोनार्थ नहीं कर सकता है क्योंकि व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग हेतु पृथक से व्यवसायिक गैस सिलेण्डर उपलब्ध बाजार रहते है तथा प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा इतनी बड़ी तादात में 19 गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यवासायिक प्रयोजन में लाते हुए एक मुश्त एक सेनापति कैटरिंग सर्विस खुशी विहार नीमच रोड़ प्रतापगढ़ में एकत्र किये हुए थें जबकि घरेलु गैस सिलेण्डररर्स हेतु सरकार की गाईड लाईन अनुसार घर का रसोई घर ही उपयुक्त स्थान नियत है एवं अधिक से अधिक रिफलिंग योग्य सिलेण्डर को अन्यत्र रखा जा सकता है जिसकी भी एक निर्धारित मात्रा होती है जबकि प्रकरण में वक्त मौका निरीक्षण एवं जांच कार्यवाही व्यवसायिक स्थल से एक मुश्त 19 घरेलु गैस सिलेण्डरों का पाया जाना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः प्रार्थपा पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अवैध रूप से संकलित 19 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं अन्य जब्तशुदा संचालन उपकरणों सहित राजसात अनुमती प्रदान कराया जाना उचित रहेगा।

इसी प्रकृम में दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त समस्त सिलेण्डर खाली होकर व्यवसायिक संस्था में कार्यरत कार्मिकों के व्यक्तिगत पंजीकृत घरेलु गैस सिलेण्डर रहें है तथा उक्त सिलेण्डर वास्ते रिफलिंग इन्तजार में रखें हुए थे अप्रार्थी इस कानुन व्यवस्था से अनभिज्ञय है तथा उसके द्वारा पूर्व में कभी इस प्रकार का कृत्य नहीं किया है जिसे ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी के विरूद्ध शिथिलता का रूख अपनाते हुए जब्तशुदा गैस सिलेण्डर एवं अन्य उपकरण पुनः प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज फरमावें।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि रसद विभाग के अधिकारी/कार्मिकों द्वारा दिनांक 19.03.2020 के दौरान वक्त मौका निरीक्षण एवं बाद जांच कार्यवाही तथा मौका पर्चा रिपोर्ट तथा निरीक्षण प्रतिवेदन एवं फर्द जब्ती 19 घरेलु गैस सिलेण्डर तथा अन्य उपकरणों का व्यवासायिक प्रयोजनार्थ उपयोग–उपभोग में लाया जाना प्रतीत होता है तथा उक्त समस्त गैस सिलेण्डर तथा अन्य सामग्री के व्यवसायिक प्रतिष्ठान से अप्रार्थी की उपस्थिति में जब्ती अनुसार उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग होना दर्शित रिकार्ड पाया है इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित कथनों से संदर्भित कोई साक्ष्य, दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं रखें गए है जिससे अप्रार्थी को कोई अनुतोष प्रदान किया जा सके। प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत समुचित कार्यवाही योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेरोकार सरकार रसद स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 19.03.2020 को अप्रार्थी द्वारा संचालित फर्म (मैसर्स सेनापती कैटरिंग सर्विस, खुशी विहार नीमच रोड़, प्रतापगढ़) के यहाँ से फर्द जब्ती में वर्णित समस्त सामग्री एवं 19 घरेलु गैस सिलेण्डर को अन्तिम रूप से राजसात किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार हाकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner